मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

मंगलवार, दिनांक 7 मार्च, 2017 (फाल्गुन 16, शक संवत् 1938)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:01 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 11 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ,8, 9, 12 एवं 13) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 204 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 216 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. स्वागत उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा लोक सभा तथा श्री रघुनंदन शर्मा, पूर्व सांसद एवं लोकसभा बी.पी.एस.टी के सलाहकार बी.पी.एस.टी. के प्रशिक्षणरत 28 देशों के विधायी अधिकारियों का सदन की दीर्घा में उपस्थिति पर सदन की ओर से स्वागत उल्लेख किया गया.

3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री मधु भगत, सदस्य की बालाघाट जिले के किरनापुर विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम मौदा एवं कटंगी के मध्य देवनदी पर पुल निर्माण न होने,

(2) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य की सीधी शहर के करौंदिया दक्षिण गोपालदास मंदिर कालोनी में आदिवासियों को आवास के पट्टे न देने,

(3) श्री मेहरबान सिंह रावत, सदस्य की सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्रांतर्गत ग्राम नेवरी में कन्स्ट्रक्शन कंपनी द्वारा आवागमन में अवरोध पैदा करने,

(4) श्री भारत सिंह कुशवाह, सदस्य की ग्वालियर के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत संबंधी समस्याएं होने,

(5) श्रीमती शीला त्यागी, सदस्य की मनगवां विधानसभा क्षेत्रांतर्गत ग्राम गढ़ से नई गढ़ी सड़क अत्यंत जीर्णशीर्ण होने,

(6) श्री घनश्याम पिरोनियॉं, सदस्य की दतिया जिले की भाण्डेर विधानसभा क्षेत्र में उनाव बालाजी की पहूज नदी पर रपटा तथा नाव व्यवस्था कराने,

(7) श्री के.के.श्रीवास्तव, सदस्य की टीकमगढ़ जिले में नवीन पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन का घटिया निर्माण कार्य होने,

(8) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य की पवित्र नदी अमरकंटक में रामघाट से दक्षिण तट तक नर्मदा नदी पर ओवर ब्रिज निर्माण किये जाने,

(9) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य की महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में पेयजल संकट होने तथा

(10) श्री अशोक रोहाणी, सदस्य की जबलपुर की केंट विधानसभा क्षेत्र में बी.पी.एल.हितग्राहियों के साथ प्रशासनिक लापरवाही करने,

सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं.

4. शून्यकाल में उल्लेख

(1) विधान सभा क्षेत्र देवरी के सिलारी गांव के घायल व्यक्तियों के परिजनों द्वारा धरना प्रदर्शन किये जाने विषयक

श्री हर्ष यादव, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि उनके विधान सभा क्षेत्र देवरी के सिलारी गांव के घायल व्यक्तियों के परिजनों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में धरना-प्रदर्शन किया गया था, उनके ऊपर पुलिस प्रकरण नहीं बनाए जाए.

(2) जल संसाधन विभाग द्वारा बांध निर्माण से डूब प्रभावित किसानों को सन्नौसी में बसाये जाने विषयक

श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी), सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि शहडोल जिले की जयसिंह नगर तहसील अंतर्गत सन्नौसी ग्राम के बिजौरा नाले में जल संसाधन विभाग द्वारा बांध निर्माण के कारण स्थानीय ग्राम सभा सहित डूब से प्रभावित किसानों द्वारा आंदोलन कर वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपनी मांग रखी है. स्थानीय किसानों में आक्रोश व्याप्त है.

(3) मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अनिश्चित हड़ताल किये जाने विषयक

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि मध्यप्रदेश के 7 विश्वविद्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा उनकी मांगें न मानने के विरोध में अनिश्चित हड़ताल की जा रही है जिससे 5 लाख छात्र/छात्राओं की पढ़ाई पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है. परीक्षा का समय नजदीक है, कुलपतियों, प्रबंधक और शासन की समन्वय बैठक के द्वारा शीघ्र मांगों का निराकरण किया जाए.

(4) सिवनी जिले के भीमगढ़ नहर में डूब गये बच्चे की लाश ढूंढे जाने विषयक

श्री दिनेश राय, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि सिवनी जिले की भीमगढ़ नहर में कल दोपहर एक 8 साल का बच्चा डूब गया था किन्तु अभी तक उसकी लाश नहीं ढूंढी जा सकी है जिससे उसके परिजन काफी दुखी है और पूरे क्षेत्र में रोष व्याप्त है.

(5) राजगढ़ जिले के कुरावर नगर निवासी चिटफंड आरोपी पर पुलिस कार्रवाई न किये जाने विषयक

श्री गिरीश भण्डारी, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि राजगढ़ जिले के कुरावर नगर निवासी श्री रामेश्वर नायक द्वारा चिटफंड कंपनी बीएनपी-11 इण्डिया एवं जी.एफ गोल्ड रियल स्टेट कंपनियों का संचालन किया जा रहा है. इस पर 420, 406, 120 (बी) के तहत मुकदमा कायम होने के बाद भी आरोपी खुलेआम कुरावर में घूम रहा है. पुलिस द्वारा कार्रवाई न किये जाने से जनता में रोष व्याप्त है.

(6) भोपाल के गोविन्दपुरा क्षेत्र स्थित बी.एच.ई.एल. द्वारा निर्माण कार्यों की अनुमति न दिये जाने विषयक

श्री बाबूलाल गौर, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि भोपाल के गोविन्दपुरा क्षेत्र स्थित बी.एच.ई.एल. द्वारा नगर निगम को सड़क, नालियां एवं चौराहों के निर्माण की अनुमति न देने से ये काम नहीं हो पा रहे हैं. जबकि हमने भारत सरकार को बी.एच.ई.एल. के कारखाने हेतु जमीन लीज पर दी है परन्तु क्षेत्र में निर्माण कार्यों की अनुमति नहीं मिलती है. इसलिए तत्सम्बन्धी निर्देश जारी किए जाए.

(7) रीवा जिले की ग्राम पंचायत हटवा निर्भयनाथ में खाद्यान्न वितरण में कालाबाजारी किये जाने विषयक

श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि रीवा जिले के हनुमना ब्लॉक अंतर्गत स्थित ग्राम पंचायत हटवा निर्भयनाथ में खाद्यान्न वितरण में कालाबाजारी की जा रही है और खाद्यान्न ग्राम पंचायत हटवा में न रख कर दूसरी पंचायत में रख कर वितरण किये जाने से हितग्राहियों को परेशानी हो रही है और उनमें आक्रोष व्याप्त है. सरकार से अनुरोध है कि खाद्यान्न हटवा निर्भयनाथ में ही रखने की व्यवस्था की जाये जिससे कि वहां के हितग्राहियों को समुचित लाभ मिल सके.

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का चतुर्दश वार्षिक प्रतिवेदन, वित्तीय वर्ष 2015-16 पटल पर रखा.

(2) श्री जयभान सिंह पवैया, उच्च शिक्षा मंत्री ने -

(क) महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, करौंदी, जिला-कटनी (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16 तथा

(ख) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-2016,

पटल पर रखे.

6. ध्यानाकर्षण

(1) श्री सूबेदार सिंह रजौधा, सदस्य एवं श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष ने जौरा तहसील के ग्राम रकेरा में भूदान की जमीन पर कब्जा किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री उमाशंकर गुप्ता, राजस्व मंत्री ने वक्तव्य दिया.

(2) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य ने सीधी जिले के अमिलिया स्थित जागृति विद्यालय के छात्र परीक्षा देने से वंचित होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

कुंवर विजय शाह, स्कूल शिक्षा मंत्री ने वक्तव्य दिया.

7. प्रतिवेदन की प्रस्तुति.

श्री शंकरलाल तिवारी, सभापति ने याचिका समिति का अभ्यावेदनों से संबंधित सप्तम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(2) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)
(3) श्रीमती झूमा सोलंकी (जिला-खरगोन)
(4) श्री चम्पालाल देवड़ा (जिला-देवास)
(5) श्री मेहरबान सिंह रावत (जिला-मुरैना)
(6) श्री प्रताप सिंह (जिला-दमोह)
(7) श्री लखन पटेल (जिला-दमोह)
(8) श्री मुरलीधर पाटीदार (जिला-आगर)
(9) पं. रमेश दुबे (जिला-छिन्दवाड़ा)
(10) श्री के.के. श्रीवास्तव (जिला-टीकमगढ़)
(11) श्री अमर सिंह यादव (जिला-राजगढ़)
(12) श्री वीरसिंह पंवार (जिला-विदिशा)
(13) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार (जिला-मुरैना)
(14) श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक (जिला-छतरपुर)
(15) श्री गोविन्द सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(16) श्री रामपाल सिंह (जिला-शहडोल)
(17) श्री बहादुर सिंह चौहान (जिला-उज्जैन)
(18) श्री संजय उइके (जिला-बालाघाट)
(19) श्री दुर्गालाल विजय (जिला-श्योपुर)
(20) श्री कुंवर सिंह टेकाम (जिला-सिंगरौली)
(21) श्री मुकेश नायक (जिला-पन्ना)
(22) श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल (जिला-धार)
(23) श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-छिन्दवाड़ा)
(24) श्रीमती ममता मीना (जिला-गुना)
(25) श्री कुंवर जी कोठार (जिला-राजगढ़)
(26) कुंवर हजारीलाल दांगी (जिला-राजगढ़)
(27) श्री हर्ष यादव (जिला-सागर)
(28) श्री नारायण सिंह पंवार (जिला-राजगढ़)
(29) श्रीमती शीला त्यागी (जिला-रीवा)
(30) श्री दिनेश राय (जिला-सिवनी)
(31) श्री हरदीप सिंह डंग (जिला-मंदसौर)
(32) श्री सुशील कुमार तिवारी (जिला-जबलपुर)
(33) डॉ. रामकिशोर दोगने (जिला-हरदा)
(34) डॉ. गोविन्द सिंह (जिला-भिण्ड)

(35) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया (जिला-मंदसौर)
(36) श्री आर.डी.प्रजापति (जिला-छतरपुर)
(37) श्री नीलेश अवस्थी (जिला-जबलपुर)
(38) श्री जितेन्द्र गेहलोत (जिला-रतलाम)
(39) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक (जिला-दमोह)
(40) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (जिला-गुना)
(41) श्री मधु भगत (जिला-बालाघाट)
(42) श्री शैलेन्द्र पटेल (जिला-सीहोर)
(43) श्री केदारनाथ शुक्ल (जिला-सीधी)
(44) श्री रामलाल रौतेल (जिला-अनूपपुर)
(45) श्री निशंक कुमार जैन (जिला-विदिशा)
(46) श्री शैलेन्द्र जैन (जिला-सागर)
(47) श्री अनिल जैन (जिला-टीकमगढ़)
(48) श्री विजय सिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)
(49) श्री चेतराम मानेकर (जिला-बैतूल)
(50) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)
(51) श्री मथुरालाल (जिला-रतलाम)
(52) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को (जिला-अनूपपुर)
(53) श्री सुखेन्द्र सिंह (जिला-रीवा)
(54) श्री प्रदीप अग्रवाल (जिला-दतिया)
(55) श्री सुन्दरलाल तिवारी (जिला-रीवा)
(56) श्री मुकेश पण्ड्या (जिला-उज्जैन)
(57) श्री सूबेदार सिंह रजौधा (जिला-मुरैना)
(58) श्री अरूण भीमावद (जिला-शाजापुर)
(59) श्रीमती संगीता चारेल (जिला-रतलाम)
(60) श्री प्रहलाद भारती (जिला-शिवपुरी)
(61) डॉ. मोहन यादव (जिला-उज्जैन नगर)
(62) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(63) श्रीमती प्रमिला सिंह (जिला-शहडोल)
(64) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा, सदस्य, देवास)
(65) श्री कालुसिंह ठाकुर (जिला-धार)

9. अध्यक्षीय घोषणा

माननीय सदस्यों के लिए भोजन की व्यवस्था एवं लाला हरदौल नाटक का मंचन किये जाने विषयक

(क) अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की कि आज भोजनावकाश नहीं होगा, भोजन की व्यवस्था सदन की लॉबी में की गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सुविधानुसार भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें.

(ख) अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की कि आज दिनांक 7 मार्च, 2017 को सांय 7.00 बजे से विधान सभा भवन के मानसरोवर सभागार में बुंदेलखण्ड के लोक जीवन में रचे बसे लाल हरदौल के चरित्र पर आधारित नाटक "लाल हरदौल" का मंचन होगा. तत्पश्चात् परिषर में रात्रि भोज भी आयोजित है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि दोनों कार्यक्रम में पधारने का कष्ट करें.

10. वर्ष 2016-17 की अनुदानों की मांगों पर मतदान

(1) श्री लाल सिंह आर्य, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 1	सामान्य प्रशासन के लिए चार सौ दस करोड़, अड़सठ लाख, इक्कीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए एक सौ इक्तीस करोड़, बत्तीस लाख, सात हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 65	विमानन के लिए चौंतीस करोड़, अस्सी लाख, इक्यासी हजार रुपये तक की राशि दी जाए.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री ओमकार सिंह मरकाम

सभापति महोदय (श्री कैलाश चावला) पीठासीन हुए.

(2) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया
(3) श्री कमलेश्वर पटेल
(4) श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक
(5) डॉ. गोविन्द सिंह
(6) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(7) सुश्री हिना लिखीराम कांवरे
(8) श्री राजेन्द्र मेश्राम
(9) श्री दिनेश राय
(10) श्री बहादुर सिंह चौहान
(11) श्री सत्यप्रकाश सखवार
(12) डॉ. रामकिशोर दोगने
(13) श्री वैलसिंह भूरिया

श्री लाल सिंह आर्य, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने चर्चा का उत्तर दिया।

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(2) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 6	वित्त के लिए चौदह हजार दो सौ सतहत्तर करोड़, सतासी लाख, चवालीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 7	वाणिज्यिक कर के लिए दो हजार तीन सौ अठासी करोड़, पैंसठ लाख, सोलह हजार रुपये तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(3) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 30	ग्रामीण विकास के लिए चार हजार चार सौ पांच करोड़, इक्यावन लाख, चौहत्तर हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 34	सामाजिक न्याय के लिए छह सौ ग्यारह करोड़, छियासठ लाख, साठ हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 53	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता पच्चीस हजार एक सौ नब्बे करोड़, इक्कीस लाख, चालीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 59	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए दो सौ करोड़, एक हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 62	पंचायत के लिए एक सौ बहत्तर करोड़, दस लाख, अड़सठ हजार रुपये तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा

सभापति महोदय (श्री दुर्गालाल विजय) पीठासीन हुए.
अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

(2) श्री बहादुर सिंह चौहान
(3) श्री जयवर्द्धन सिंह
(4) श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक
(5) श्री हरदीप सिंह डंग
(6) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल
(7) श्री यादवेन्द्र सिंह
(8) श्री सुखेन्द्र सिंह
(9) श्री दिनेश राय
(10) इंजी. प्रदीप लारिया
(11) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर
(12) श्री सोहनलाल बाल्मीक
(13) श्री अनिल जैन
(14) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया
(15) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
(16) श्री वैलसिंह भूरिया
(17) श्री जतन उईके
(18) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी)
(19) श्री देवेन्द्र वर्मा
(20) श्री सचिन यादव
(21) श्री सुन्दरलाल तिवारी
(22) श्री शैलेन्द्र जैन
(23) श्री प्रदीप अग्रवाल
(24) श्री दुर्गालाल विजय
(25) श्री मुरलीधर पाटीदार
(26) श्री नारायण सिंह पंवार
(27) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर
(28) श्री ऊषा चौधरी

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

11. अध्यक्षीय घोषणा
सदन के समय में वृद्धि विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि आज की कार्यसूची के पद क्रमांक 6 के उप पद क्रमांक 4 का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाये.

12. वर्ष 2016-17 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

(4) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, वन मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या – 10	वन के लिए दो हजार सात सौ अठारह करोड़, चौबीस लाख, बत्तीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 31	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी के लिए दो सौ छिहत्तर करोड़, पांच लाख, अठावन हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय के लिए पांच सौ सत्तर करोड़, तैंतीस लाख, चौरासी हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय के लिए एक सौ दो करोड़, अठानवे लाख, बीस हजार रुपये तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(2) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल
(3) श्री जतन उईके
(4) श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक
(5) डॉ. रामकिशोर दोगने
(6) श्री बहादुर सिंह चौहान
(7) श्री आर.डी. प्रजापति
(8) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया
(9) श्री दिनेश राय
(10) श्री वैलसिंह भूरिया
(11) कुंवर विक्रम सिंह
(12) डॉ. योगेन्द्र निर्मल
(13) श्री मानवेन्द्र सिंह
(14) श्री हरदीप सिंह डंग
(15) श्री इन्दर सिंह परमार

डॉ. गौरीशंकर शेजवार, वन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अपराह्न 7.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 8 मार्च, 2017 (17 फाल्गुन, शक सम्वत् 1938) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 7 मार्च, 2017